न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प पचपदरा

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

<u>पंचायत निगरानी संख्या 04/2012</u>

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
नारायणसिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपुरोहित निवासी बागलोप पंचायत कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	बनाम	1. गोकलाराम चौधरी पुत्र दुर्गाराम जाति चौधरी निवासी बागलोप तहसील पचपदरा 2. ग्राम पंचायत कल्याणपुर तहसील पचपदरा द्वारा सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 22 (मिसल संख्या 21/2004) दिनांक 28.7.2004 जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी उपस्थित।
2.विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 14.06.2017**

1- प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 28.7.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2- संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील पचपदरा के ग्राम बागलोप ज़ो पंचायत क्षेत्र कल्याणपुर में आया हुआ है, की सरहद से लगती ग्राम धड़ोई चारणन की गै.मु. गोचर भूमि खसरा नंबर 78/5 आई हुई है। उक्त गोचर भूमि पर विप्रार्थी संख्या 01 ने अतिक्रमण कर, आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत कल्याणपुर विप्रार्थी संख्या 02 को आवेदन पेश किया। विप्रार्थी संख्या 01 का सगा भाई उप सरपंच के पद पर होने के कारण उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा संख्या 22

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

दिनांक 28.7.2004 विधि विरूद्व ग्राम पंचायत कल्याणपुर से जारी करवाया। ग्राम पचांयत कल्याणपुर द्वारा नियमों की पूर्णतया अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 01 को निजी लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से जारी किया गया पट्टा संख्या 22 दिनांक 28.7.2004 जो निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की है।

3- हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत कल्याणपुर से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4- पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा में पेश हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित हुए।

5- प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। विप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत कल्याणपुर ने विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम घड़ाई चारणान की गोचर भूमि को ग्राम बागलोप की भूमि बता कर राज.पंचायती राज नियमों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा संख्या 22 दिनांक 28.7.2004 जारी किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

6- विप्रार्थी संख्या 01 का कथन हैं कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 22 दिनांक 28.7.2004 राज. पंचायती राज अधिनियम के तहत विविधत तरीके से जारी किया गया है। पट्टा विलेख की भूमि ग्राम पंचायत कल्याणपुर की आबादी भूमि है, आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश की गई निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाए।

7- हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत कल्याणपुर से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को यह पट्टा राज. पंचायत राज अधिनियम के नियम 158 में जारी किया गया है। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया एवं रसीद संख्या 67 दिनांक 26.2.2004 से रूपये 60/– जमा करवाये गये। आवेदन प्राप्त होने पर आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा जारी किया जाकर निर्धारित अवधि में

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आपत्ति चाही गई। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आबादी भूमि स्थल का निरीक्षण गठित कमेटी द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा पट्टा जारी करने हेतु विधिवत मिसल कायम कर विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं पट्टा राशि रूपये 2160/— जमा की गई। ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा वर्ष 2004 में जारी किया गया, जबकि उक्त पट्टे के विरूद्व निगरानी आठ साल बाद पेश की गई, हालांकि निगरानी पेश करने में समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु आलौच्य पट्टा जारी होने के आठ साल बाद विलम्ब से निगरानी पेश करने के कोई ठोस एवं उचित कारण भी नहीं दर्शाये गये तथा प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त पट्टा की भूमि ग्राम बागलोप की नहीं होकर ग्राम घड़ाई चारणान की गै.मु.गोचर है, साबित नहीं कर पाये। लिहाजा प्रार्थी की निगरानी आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8- उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प पचपदरा में आज दिनांक 14.06.2017 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)